राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भीम, जिला राजसमंद

पीठासीन अधिकारीः— विकास शर्मा आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या — 31/2021 राजस्व वाद

जीसीएमएस संख्या — 2021/11

अनवान

1. कालू सिंह पिता विरद सिंह जाति रावत उम्र 63 वर्ष।
2. मन्ना सिंह पिता विरद सिंह जाति रावत उम्र 65 वर्ष।

समस्त निवासीयान् ग्राम पीपरेलू ग्राम पंचायत दिवेर तहसील भीम जिला राजसमंद।

.... वादीगण

बनाम

1. डाउ सिंह पिता मान सिंह जाति रावत निवासी ग्राम पीपरेलू ग्राम पंचायत दिवेर तहसील भीम जिला राजसमंद।
2. तहसीलदार भीम, तहसील भीम जिला राजसमंद।
3. पटवारी, पटवार हल्का दिवेर तहसील भीम जिला राजसमंद।

.................प्रतिवादीगण

उपस्थिति :—

1. वादी की ओर से अधिवक्ता श्री नैना सिंह चौहान
2. प्रतिवादीगण की ओर से पैरोकार सरकार नायब तहसीलदार भीम

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

दिनांकः—12/11/2025

01. वादीगण ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत किया। जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम पीपरेलू, पटवार हल्का दिवेर तहसील भीम जिला राजसमंद में स्थित भूमि के खाता संख्या 09 नया 09 पुराना में स्थित आराजी संख्या 162 रकबा 0.1133 ,163 रकबा 0.0243 , 165 रकबा 0.0728, 192 रकबा 0.0263, 257 रकबा 0.0162 , 258 रकबा 0.0567, 259 रकबा 0.0486, 619/194 रकबा 0.0081 हे0 एवं आराजी नम्बर 69 रकबा 0.0647 हे0 कुल किता 09 कुल रकबा 0.4310 हे0 है एवं खाता संख्या नया 127 व पुराना 123 के आराजी नम्बर 106 रकबा 0.1100 , 149 रकबा 0.0610, 150 रकबा 0.1500, 161 रकबा 0.1100 , 194 रकबा 0.0300 हे0 कुल किता 05 कुल रकबा 2.0610 हे0 है। वादीगण की उक्त आराजी में आने जाने हेतु आराजी संख्या 161 के पूर्वी दक्षिणी कोने पर जहां आम रास्ता है जहां से प्रार्थीगण आते जाते रहे है उक्त रास्ते की भूमि को विपक्षी ने अपने मकान के आगे बनने वाले लेट्रिन—बाथरूम एवं मवेशियों का बाड़ा बना कर आवागमन बंद कर दिया है। वादीगण के आवागमन हेतु केवल 2 फीट जमीन छोड़ी है जो आवागमन के लिए अपर्याप्त है। हम वादीगण को खेत में आने जाने के लिए, बेलगाड़ी, ट्रेक्टर एवं खेती के अन्य साधनों को लाने ले जाने के लिए एवं सिंचाई हेतु (वादीगण के खाते की

भूमि ... 20 फीट चौड़ा रास्ता चाहिए। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि प्रतिवादी के खेत से लगते हुए उक्त रास्ते के आराजी संख्या 161 में से 20 फीट रास्ता डीएलसी दर से दिलाया जावे, उसके लिए जो भी शुल्क/राशि माननीय न्यायालय/कानून तथा डीएलसी दर के अनुसार है, मुझ वादी द्वारा राजकोष में जमा करवा दी जाएगी तथा उक्त रास्ता सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रदत्त किया जाकर रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने हेतु तहसीलदार भीम को आदेशित करें ताकि मै मेरी कृषि भूमि में सुगमता पूर्वक आवागमन कर सकूं तथा कृषि उपज लाने, ले जाने, भूमि को बोने आदि के लिए ट्रेक्टर आदि वाहन सुगमता पूर्वक ले जा सकूं।

02. वादीगण का प्रार्थना पत्र बाद जांच दिनांक 24.08.2021 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगणों को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रकरण में तहसीलदार भीम से मौका रिपोर्ट तलब की गई। दिनांक 23.05.2025 को मौका जांच रिपोर्ट मय नक्शा ट्रेस व जमाबंदी की प्रतियां पेश की गई जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में आराजी खसरा संख्या 161 में से 20 फीट चौड़ा रास्ता चाहा गया है। जबकि परन्तु खसरा नम्बर 161 किसी रिकॉर्डेड रास्ते में ना मिलकर आबादी भूमि से मिलता है तथा प्रार्थी द्वारा उक्त आबादी भूमि में स्थित रास्ते तक पहुंच मार्ग चाहा गया हो। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए के अंतर्गत रास्ता खातेदारी भूमि से दिया जा सकता है प्रस्तुत प्रकरण में आबादी भूमि से चाहा गया है जो हाजा न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं है अतः उक्त तथ्यों के आधार पर प्रकरण खारिज किया जाता है।

03. हमने पत्रावली का आद्योपान्त अध्ययन, अवलोकन किया। पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों, जमाबंदी की प्रति, नक्शा ट्रेस, सहमति व सुसंगत न्यायिक उद्धरणों, साक्ष्यों, दस्तावेजों का अवलोकन, अध्ययन व मनन किया। इससे संबंधित कानूनी पहलुओं का अध्ययन किया। वादीगण व वकील वादी की बहस को सुना गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन, अवलोकन किया। उपरोक्त अनुसार ग्राम पीपरेलू पटवार हल्का दिवेर के आराजी खसरा संख्या 161 में से 20 फीट चौड़ा रास्ता चाहा गया है। परन्तु खसरा नम्बर 161 किसी रिकॉर्डेड रास्ते में ना मिलकर आबादी भूमि से मिलता है तथा प्रार्थी द्वारा उक्त आबादी भूमि में स्थित रास्ते तक पहुंच मार्ग चाहा गया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए के अंतर्गत रास्ता खातेदारी भूमि से दिया जा सकता है प्रस्तुत प्रकरण में आबादी भूमि से चाहा गया है जो हाजा न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं है अतः उक्त तथ्यों के आधार पर प्रकरण खारिज किया जाता है।

आदेश

उपरोक्त विवेचना अनुसार ग्राम पीपरेलू पटवार हल्का दिवेर के आराजी खसरा संख्या 161 में से 20 फीट चौड़ा रास्ता चाहा गया है। परन्तु खसरा नम्बर 161 किसी रिकॉर्डेड रास्ते में ना मिलकर आबादी भूमि से मिलता हो तथा प्रार्थी द्वारा उक्त आबादी भूमि में स्थित रास्ते तक पहुंच मार्ग चाहा गया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए के अंतर्गत रास्ता खातेदारी भूमि से दिया जा सकता है प्रस्तुत प्रकरण में आबादी भूमि से चाहा गया है जो हाजा न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं है अतः उक्त तथ्यों के आधार पर प्रकरण खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 12/11/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी भीम
जिला राजसमंद

Scanned with OKEN Scanner